>

Title: Discussion on points arising out of the answer given by the Minister of Finance on 11 March, 2011 to Starred Question No. 222 regarding Priority Sector Lending to SCs/STs.

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मैंने जिस महत्वपूर्ण विषय और बहुत ही गंभीर मसले पर चर्चा की इच्छा रखी थी, माननीय अध्यक्ष महोदया ने उसे स्वीकार किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं। निश्चित ही पूरे देश के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति और कमजोर वर्गों को एक नयी आस की जो दिशा जगमगाई है, मैं सचमुच में दिल से उसका धन्यवाद करती हूं। आज यदि पूरे देश के इन गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्ग के प्रतिशत को देखा जाए तो ये बहुत ही थोड़े हैं। अगर हम इन्हें गिनेंगे तो इन्हें हमें आंकड़ों में ही गिनने की आवश्यकता होगी, ये मारा मानना है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहती हूं कि आज हमारे देश में ये लोग जिस दयनीय हालत में जिन्दा हैं, ये बहुत ही कम हैं। यदि अनुसूचित जनजाति को देखें तो आज भी आठ प्रतिशत 8.08 पर आकर थम गए हैं। यदि दलितों को देखा जाए तो उनकी भी जनसंख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी सिमट चुके हैं। आज उनकी भी जनसंख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज भी 16 प्रतिशत की संख्या में आकर, पूरे देश में इनकी जनसंख्या इस रूप में सिमट चुकी है। आखिर क्या कारण हैं? हम इतना पैसा उनके लिए भेजते हैं, इतना पैसा उनकी तरक्की और विकास के लिए लगाते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आज भी उनकी जनसंख्या से लेकर उनके विकास और तरक्की को देखें तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने तरक्की की होगी या उनका विकास हुआ होगा, यह मेरा मानना मेरे लिए और उनके लिए एक अन्याय होगा। उन्हें यदि न्याय देने की बात कहें तो मेरा दिल नहीं मानता है कि मैं उन्हें उस रूप से देखूं। उन्होंने किसी कार्यक्रम में अपनी इसी जिज्ञासा को व्यक्त किया था कि यदि यह कमजोर वर्ग उच्च शिक्षा तक आता है तो धीरे-धीरे इनकी जनसंख्या कम हो जाती है।

-

19.00 hrs.

सभापति महोदय, उनका मानना है कि इन वर्गों को उच्च शिक्षा में बहुत कम अवसर दिए गए हैं। हमें अपने आपको वहां लाकर सोचना है कि यदि हमें इन वर्गों के बच्चों के भविष्य को बनाना है, तो हमें उस क्षेत्र में जाकर सोचना पड़ेगा। आखिर यह बात क्यों आई? भविष्य को बनाने के लिए तो हमेशा सूझ-बूझ की आवश्यकता होती है, लेकिन निश्चित तौर पर जो उन्हें मिलना चाहिए, वह आज भी नहीं मिला है। इसी चीज को उन्होंने बताया है। यह वर्ग उच्च शिक्षा में आते-आते निश्चितरूप से किसी और मार से तो नहीं मरता, बल्कि यदि मरता है, तो केवल आर्थिक मार से मरता है। उसके विकास में, उसकी आर्थिक दरिद्रता बहुत बड़ी बाधक सिद्ध होती है।

महोदय, इसीलिए सरकार ने उन्हें ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराई है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देती हूं, क्योंकि सरकार ने उस वर्ग की चिन्ता तो की, लेकिन क्या कारण है कि वह उस ऋण की सुविधा लेने में सक्षम नहीं हो पाता है। 11 प्रतिशत पर यदि हम शिक्षा ऋण उपलब्ध कराते हैं, तो यह कमजोर वर्ग 10.50 प्रतिशत की दर पर ऋण लेकर कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा? जब हम आगे चल कर देखते हैं, तो ऐसे ही आंकड़े हमें मिलते हैं, जिनके कारण वह उच्च शिक्षा लेने में समर्थ नहीं हो पाता है। उसकी शिक्षा, उच्च शिक्षा तक आते-आते नगण्य हो जाती है। वह लुप्त हो जाती है, लेकिन हमें उसे विलुप्त नहीं करना है। यदि हम उसे विलुप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से आज की जनसंख्या जो 8 प्रतिशत से लेकर 16 प्रतिशत तक आई है, वह आगे और नहीं बढ़ पाएगी। जब हम उसके विकास की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, तो यह निश्चित रूप से हमारे देश के सामने एक प्रश्नचिह्न लगाता है।

सभापति महोदय, यही बात संसदीय समिति की रिपोर्ट में दर्ज हुई थी कि आदिवासियों को जो शिक्षा मिल रही है, वह आज भी सवालों के घेरे में खड़ी है। जो संसदीय समिति की रिपोर्ट है, उसके तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं कि आज भी आदिवासी और दलित छात्रों को जो शिक्षा मुहैया करा रहे हैं, वह सरकारी योजना आज तक विफल रही है। यदि हम बजट की ओर दृष्टि डालें, तो आपको पता लगेगा कि बजट में इस योजना हेतु धन की निरन्तर कमी होती गई है। यह भी हमारे लिए एक प्रश्नचिह्न है। यह चीज हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा करती है कि आखिर उन्हें जो शिक्षा हमें मुहैया करानी चाहिए, वह हम नहीं करा पा रहे हैं, जबकि वह अन्य लोगों की बराबरी में खड़े होने के लिए तत्पर है, लेकिन हम उसे उच्च शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है और केवल इन्हीं वर्गों के साथ ऐसा क्यो हो रहा है?

महोदय, आज अशिक्षा के ऊपर जब बात आई, तो पूरा सदन चिन्तित हो रहा था। मुझे खुशी हुई कि सरकार शायद इसमें कुछ परिवर्तन करेगी। यदि हम इन वर्गों के लिए उच्च शिक्षा हेतु रखे गए बजट को वर्ष 2007 से देखें, तो हमें पता लगता है कि तीन साल तक आते-आते यह बजट केवल 10 से 20 प्रतिशत तक ही खर्च हुआ है। इतना कम खर्च करना, खर्च नहीं करने के समान ही है। यदि हम बजट का आकलन करते हैं, तो पाते हैं कि केवल 10 से 20 प्रतिशत तक ही उनके ऊपर व्यय हुआ है, तो यह कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं है। जब हम वर्ष 2010 और 2011 में आते हैं, तो बजट आबंटन जो 10 करोड़ था, उसे 4 करोड़ रुपए कर दिया जाता है। ऐसा क्यों, क्या यही वर्ग बचा है, जिसकी राशि को हम हर वर्ष घटाते जाएं और इस राशि को हम कहीं और लगाएं? उनके विकास में उस राशि को लगाने पर हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उनकी राशि को घटा कर किसी और कार्य में उपयोग करना, उनके साथ सरासर अन्याय होगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य महोदया, यदि आप मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं, तो वह पूछ लीजिए, क्योंकि यह आधे घंटे की चर्चा है। आपके बाद कुछ और माननीय सदस्य भी इस पर बोलना चाहेंगे और उसके बाद मंत्री महोदय को जवाब भी देना है। यह सब केवल आधे घंटे में ही होना है।

श्रीमती ज्योति धुर्वे : सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मुझे इसे स्पष्ट करने हेतु थोड़ा और समय दे दीजिए।

महोदय, मेरा यही पूछना है- क्या कारण है कि हम इन वर्गों को क्या शिक्षा में आगे नहीं लाना चाहते हैं? आज जब हम विदेश में पढ़ने की बात करते हैं, तो हम इसे सपने के रूप में ही देखते हैं। आज यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई विद्यार्थी विदेश में पढ़ने की बात करे, तो हम इसे सपने के रूप में ही देखते हैं। इस बारे में सरकार ने चिन्ता जरूर की है, लेकिन यदि हम वर्ष 1994 से लेकर 2005 तक इन वर्गों को दी गई छात्रवृति को देखें, तो पता लगेगा कि पूरे देश में छांट कर केवल 101 बच्चों को ही छात्रवृत्तियां दी गई हैं और उनमें केवल तीन महिलाएं हैं। महिलाआं के साथ काना बड़ा अन्याय होता है कि उन महिलाओं

को केवल यह कह दिया जाता है कि उस क्षेत्र के लिए उनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। ऐसा क्यों है? महिलाएं तो वैसे भी हर कार्य करने में सक्षम होती हैं। उस समय जब वे वहां तक आती हैं, क्या उस समय उनके पास अनुभव की कमी होती है? यह मानना गलत होगा, यह उनके साथ, उनकी कुशलता के साथ में अन्याय होगा। मेरा मानना है कि जब कुछ गिनती के लोग आते हैं तो उन्हें वह अवसर जरूर प्रदान करना चाहिए। आज बच्चे एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें कोई ऐसी एयरलाइंस नहीं है, जहां उन्हें रोजगार उपलब्ध हो जाये। कहीं न कहीं फिजीकल फैकल्टी में उन्हें फेल कर दिया जाता है, वहां कहीं उन्हें सुन्दरता के लिए लिया जाता है, कहीं उनमें कोई भी खोट, कोई भी कमी नहीं होती है। यदि इस वर्ग को हम उस रूप में देखें तो उन्हें न्याय मिलना आसान नहीं है, सम्भव भी नहीं है। क्या एयर होस्टेस के लिए यह वर्ग कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। क्या वह कार्य नहीं कर सकता है, क्या वे बच्चियां एयर होस्टेस नहीं बन सकती हैं? केवल वे सुन्दर नहीं हैं, केवल उनमें वे सारी चीजें नहीं हैं, इसलिए उनके साथ यह होना गलत है।

मेरा मानना है कि सरकार यदि उनके लिए योजनाओं को लाती है तो रोजगारोन्मुख होते हुए भी रोजगार के लिए प्लेटफार्म भी उन्हें देना चाहिए और जहां उनके प्रतिशत में, संख्या में कमी आती है तो उस पर ध्यान देना भी अति आवश्यक है। मेरा मानना है कि हमारे जो बच्चे शिक्षा लेकर आये हैं, वे बच्चे भी रह जाते हैं, जो उच्च-शिक्षा तो ग्रहण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सैकिंड डिवीजन से पास होकर, थर्ड डिवीजन से पास होकर अपना एक छोटा सा उद्योग लगाना चाहते हैं। आज भी यह वर्ग, 80 प्रतिशत का वर्ग गांवों में रहता है, यह गरीब होता है, इनके पास में कोई प्रोपर्टी को मोर्टगेज करने की क्षमता नहीं होती है। उन्हें बैंक बिना गारण्टी के ऋण नहीं देता है। इनको लोन में...(व्यवधान)

मैं अपनी बात खत्म कर देती हूं। मेरा मानना है कि क्या उन बच्चों को वे अवसर नहीं मिलने चाहिए? उन बच्चों को भी अवसर मिलने चाहिए, यदि वे वहां पर नहीं हैं तो उन्हें वहां पर उद्योग चलाने के लिए जो उनके पट्टे होते हैं, जहां उनकी गारण्टी होती है, क्यों न सरकार उस गारण्टी को या तो खत्म करे या उन्हें उस गारण्टी की जगह सरकार स्वयं गारण्टी ले, ताकि ये जो बच्चे उच्च-शिक्षा तक नहीं आते हैं और उद्योग लगाने की यदि उनकी जिज्ञासा है तो उनकी जिज्ञासा को सरकार बढ़ाये और सरकार इस क्षेत्र में काम करे।

अन्त में दो लाइन बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आखिर में हम यही सोचते हैं कि आज हमारे इस वर्ग को सरकार के संरक्षण की आवश्यकता है। आज उन्हें जो लाभ मिलने की उनकी आशा है, उसमें भ्रष्टाचार को खत्म करने की आवश्यकता है। आज इसके साथ ही हमारी अनुसूचित जनजाति और दलित वर्ग को जो आबंटन में कटौती हो रही है, उसे बढ़ाया जाये, ताकि उनकी तरक्की हो सके, उन्हें विकास के अवसर मिल सकें, उस अवसर को निश्चित ही सरकार आगे बढ़ाये और इन लोगों को और इनके जीवन को और ऊपर लाये।

आपने इतने गम्भीर विषय पर मुझे इतना समय दिया, आपका धन्यवाद। जयहिन्द-जय भारत।

सभापति महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार-केवल प्रश्न पूछिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, थोड़ी सी भूमिका बनाएंगे, तभी तो प्रश्न पूछेंगे।

सभापति महोदय : नहीं, भूमिका की जरूरत नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, आप गणित के विद्यार्थी थे, आपने पीएच.डी. की है, डायरैक्ट सवाल कैसे हो सकता है, कुछ भूमिका बनाएंगे, तभी तो सवाल करेंगे न।

आपने मुझे हाफ एन ऑवर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसी में भूमिका कर लीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : श्रीमती ज्योति धुर्वे जी का मैं आभारी हूं, जिन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता और क्षेत्र में ऋण देने की जो बात कही है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए आगे कहना चाहूंगा कि यह बात सत्य है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जो बहुत गरीब प्रान्त हैं, वे अभी अपने विकास में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन ाताोंगों ने भारत् के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो केन्द्रीय परियोजनाएं हैं ....

सभापति महोदय : सभी प्रांतों में अनुसूचित जाति का यही हाल है। जो विकसित है, उसमें और बुरा हाल है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, मैं वही कह रहा हूं, मैंने प्रांतों का नाम ले लिया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को बीपीएल से जोड़ दिया गया है। केंद्र की जो परियोजनाएं हैं, उसको बीपीएल से जोड़ने के बाद आज भी हमारे यहां सही मायने में अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना नहीं हो पायी है। बीपीएल की जो सूची गयी है, वह भी बहुत गड़बड़ है। डायरेक्ट उनको वह सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। खासकर मैं कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो आरक्षण की व्यवस्था है, विभिन्न विभागों में आप देख लीजिए, चाहे वह केंद्र के हों या राज्य के जितने भी विभाग हैं, उनमें देख लीजिए, आज भी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हो पाया है और न ही उनकी प्रोन्नति के ऊपर कोई विशेष ध्यान दिया गया है। आज उनकी स्थिति बहुत खराब है, इसलिए मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी उनको आरक्षण देने की व्यवस्था करें। मैं चाहूंगा कि इन तमाम मुद्दों पर जो मैंने बात रखी है, उस पर मंत्री जी बड़े विस्तार से उत्तर देंगे कि आप अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या कर रहे हैं, किसी भी ऋण के लिए, खासकर शिक्षा के ऋण के लिए क्या कर रहे हैं? पहली बात तो उसका प्रवेश नहीं हो पाता है और किसी भी शिक्षा ऋण के लिए जब वह आवेदन करता है, तो उसे मालूम नहीं हो पाता और बैंकों में इतनी फार्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं कि फार्मेलिटीज पूरी करते-करते तिथि समाप्त हो जाती है और उसे ऋण नहीं मिल पाता है। इसलिए उनके बच्चे भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमजोर हैं। इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हुए आप अपनी बात कहेंगे और मैं आपसे इनको पूछना चाहूंगा, धन्यवाद।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज जो विषय है प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग फार एससी, एसटी बाई बैंक्स, इस विषय पर ही मैं बात करता हूं। मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि एक डीआरआई स्कीम चल रही है, जिसमें चार परसेंट

रेट आफ इंट्रेस्ट पर ऋण देते हैं। उसी में इन्होंने बताया कि 40 per cent of the total DRI advances are to be given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes borrowers. मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या डीआरआई स्कीम का टारगेट पूरा हुआ? अगर नहीं हुआ तो किन-किन बैंक्स ने नहीं किया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुयी? जो आपने चालीस परसेंट देने का लक्ष्य अनुसूचित जाति और जनजाति को देने का रखा है, क्या वह लक्ष्य पूरा हुआ?

दूसरा, अभी ज्योति जी पट्टे की बात कह रही थीं। बैंक अनुसूचित जाति और जनजाति को बिना गारंटी लोन नहीं देते हैं। उनसे पट्टा मांगते हैं। उनके पास ग्राम पंचायत का पट्टा होता है, जिसकी वैल्यू ही कुछ नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जाति, जनजाति का भोला आदमी मुख्य धारा से थोड़ा अलग होता है, किनारे पर रहता है। ...(व्यवधान) अनुसूचित जनजाति के पास तो पट्टा होता ही नहीं है। बिना गारंटी का लोन उन्हें उपलब्ध कराने का क्या सरकार का कोई विचार है?

तीसरा, एससी और एसटी के लोगों के लिए स्कॉलरशिप और स्कूलों में जाने की बात होती है, लेकिन आजकल कोचिंग के बिना कुछ नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को अध्ययन करने का लोन फ्री आफ इंटेरेस्ट या डीआरआई की तरह चार परसेंट पर दिया जाएगा या कोचिंग के लिए कोई धनराशि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए अलग से रखी जाएगी? यह बहुत जरूरी है।

चौथा, बैंक ने एक टाइम शेडयूल तय कर रखा है कि 15 दिन में हम एप्लीकेशन को डिस्पोज आफ करेंगे, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा तीन महीने में कर देंगे। क्या बैंक इस टाइम शेडयूल पर एडेयर हैं? मेरे हिसाब से 6-6 महीने तक एप्लीकेशन पर हाथ नहीं लगाया जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को सलाह देना चाहता हूं कि बैंकों में लिख दीजिए कि सेंट्रल स्पांसर्ड स्कीम में अनुसूचित जाति और जनजाति का आदमी 4 बजे आएगा, तो उससे बात होगी। वहां क्या होता है? वह 11 बजे जाता है। उसे धक्का दे दिया जाता है कि बाद में आना, अभी हमारे पास दूसरा काम है। वह ढाई बजे जाता है, तो उसे धक्का दे दिया जाता है, फिर वह थक जाता है। इसलिए उसके आने का एक टाइम बैंक में फिक्स कर दिया जाए, जिससे वह उस टाइम पर बैंक में आएगा और उसे सम्मान भी मिलेगा तथा लोन भी मिलेगा।

*SHRIMATI PARAMJIT KAUR GUSHAN (FARIDKOT) : Thank you, Chairman Sir. I also want to thank the Hon. Madam Speaker for giving us the opportunity to raise this matter in the form of a Half-an-Hour discussion in the House.

Sir, on 11th March, 2011 I had asked the Hon. Minister of Finance through Starred Question No.222 about the amount of loan disbursed to the weaker sections of society by private and Government sector banks under priority sector lending scheme in the last three years. I had also asked about the rate of interest at which these loans were given. I am sorry to say that the hon. Minister talked about outstanding loan amount instead of the disbursed amount of loan in his reply. The hon. Minister has tried to mislead the House by giving figures that pertain to the outstanding loan amount. He has conveniently ignored my pointed question.

Chairman Sir, I am not an expert in English language. I sought the help of a dictionary to know the meaning of "Outstanding' amount. As per the dictionary, meaning of 'Outstanding' is : "Remaining in existence for debt; not yet paid for security in the hands of investors". Chairman Sir, the loan was never given. It never reached the poor and the underprivileged. In such a scenario, how can that loan amount be termed as 'Outstanding'?

Sir, there is paucity of time, hence I'd be brief. Let the hon. Minister tell this august House about the reality of the figures given by him under the heading 'Outstanding'. I am afraid, these figures seem to pertain to a bygone era, prior to 1947, when the British ruled this country. Who are the beneficiaries under this scheme? How much amount has been disbursed under this heading in Punjab? What was the rate of interest?

Sir, the Government makes tall claims that Rs.10 lakhs are given to the SCs and STs without any collateral security for starting their own business. Chairman Sir, I read an article in the Tribune dated 8th March, 2011. I quote : "A sample survey has been conducted that these guidelines regarding collateral-free loans to weaker sections were not being implemented by most banks." It further says: "Most people were not aware of these guidelines."

Sir, the deprived segment of society is not aware of these schemes. The Government has done nothing to let people know that such a scheme exists.

Sir, I want to know from the hon. Minister the details of the collateral-free loan amount disbursed to the weaker sections in Punjab. What was the rate of interest? How much loan was waived off under this scheme? Sir, Coporate Houses also get loans from these banks. However, if their business fails to take off, the loan amount is waived. Later on, they become eligible to take further loan.

However, the same yardstick is not applied when it comes to granting loans to the poor people. The loan amount hardly reaches the intended beneficiary. Even if their venture fails, the loan amount is not waived off.

Hence, I request the hon. Minister to kindly give details regarding the amount of loan disbursed to these marginalized sections in Punjab under this scheme. Was it free of collateral security? If so, whether any loan amount of the hapless poor was waived off? Let the hon. Minister also give figures of the amount of loan of Corporate Houses that was waived off.

उपाध्यक्ष महोदयः अब आपकी बात रिकार्ड में नही जाएगी।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हैं।

â€¦(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): सभापति जी, चार माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथ ही कई और माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। उनके प्रश्नों का जवाब मैं बाद में दूंगा। माननीय सदस्यों ने एससी, एसटीज़ के आर्थिक विकास, विभिन्न योजनाओं में उन्हें दी जा रही राशि का सही उपयोग नहीं होना, खासकर बैंकों द्वारा उन्हें ऋण की सुविधाएं पूरी और समय पर उपलब्ध कराने संबंधी बहुत सारे विचार रखे। मैंने उन्हें नोट किया है। मैं उनकी भावनाओं और सजैशन्स को अपनी तरफ से एप्रिशिएट करता हूं।

सबसे पहले कई माननीय सदस्यों ने एजुकेशन लोन के बारे में बात की।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : जिन सदस्यों ने प्रश्न पूछे हैं, उनके नाम बता दीजिए।

श्री नमोनारायन मीणा : शैलेन्द्र कुमार जी, धुवे जी, मेघवाल जी और श्रीमती गुलशन ने एजुकेशन लोन के बारे में प्रश्न पूछा। मैं आपको दो-तीन आंकड़े बता रहा हूं कि हमारी सरकार क्या कर रही है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने अब तक जो किया है, हम उससे संतुष्ट हैं। हमें अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन इस ओर हमारी सरकार अग्रसर है। मैं आपको एजुकेशन लोन के बारे में बताता हूं। वर्ष 2003 और 2004 में एससी, एसटीज़ के छात्रों को 273 करोड़ रुपये का लोन उपलब्ध कराया गया जबकि वर्ष 2009-10 में 2,252 करोड़ रुपये का लोन उपलब्ध कराया गया।...(व्यवधान) ज्योति जी ने बताया कि 11 प्रतिशत दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हम देखते हैं कि कितने बैनिफिशियरीज़ को मिला। पूरे देश में अब तक 36 हजार करोड़ रुपये एजुकेशन लोन मिला है। उसमें एससी, एसटीज़ के बच्चों को वर्ष 2008 में 15.86, 2009 में 17.3 और 2010 में 17.69 बच्चों को टोटल लोन में हिस्सा मिला। मैं यह नहीं कहता कि यह संतोषजनक है। अगर सबको देखें तो कहा जा सकता है, लेकिन हम फिर भी इससे संतुष्ट नहीं हैं, और ज्यादा मिलना चाहिए।...(व्यवधान) मैं आपको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सप्लाइड आंकड़े बता रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए। जो भी आंकड़े हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है और वही हिसाब-किताब रखता है।

हाल में आपने देखा होगा कि ज्योति जी ने शिक्षा के बारे में बहुत कहा। पहले एससी, एसटीज़ के लिए प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं थी। इसी बजट में 40 लाख बच्चे और बच्चियों को प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप सरकार ने दी। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पहले से मिल रही है। पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है, एम.िफल की कोचिंग के लिए मिल रही है। उसे अलग-अलग डिपार्टमैंट देता है। ट्राइबल डिपार्टमैंट दे रहा है, सोशल जस्टिस डिपार्टमैंट दे रहा है। जहां शिक्षा की बात कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन आ गया। सब बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने का प्रबंध हमारी सरकार ने किया।

आपने कोलेट्रल सिक्युरिटीज़ के बारे में कहा।

सभी मैमर्स ने एजुकेश्न लोन के बारे में कहा। इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए भी कहा। इसके साथ और कई चीजें भी कहीं। मैं एक साथ बता देता हूं कि कहां-कहां कोलेट्रल सिक्योरिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। Loans under following categories/schemes under Priority Sector Lending do not require collateral/guarantee. No margin/security is required for small borrowers for agricultural loans upto Rs. 50,000 and in case of agri-business and agri-clinics for loans upto Rs. 5 lakhs. There is no security or collateral guarantee...(*Interruptions*) आप सुन लीजिए। हम उसे बाद में बतायेंगे। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति जी, यह मानक ही नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीणा : आप पहले सुन लीजिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सब पहले माननीय मंत्री जी का रिप्लाई सुन लीजिए।

â€¦(व्यवधान)

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Banks are mandated not to accept collateral security in the case of loans upto Rs. 10 lakhs extended to units in Micro and Small Enterprises Sector. For Prime Minister Employment Generation Programme loans, banks are required to extend collateral-free loans upto Rs. 10 lakhs to all units under the programme. Under Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY), loans do not require any collateral guarantee. Only assets created under the programme would be hypothecated/mortgaged/pledged to the bank advancing the loans. Under Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) for individual loans upto Rs. 50,000 and group ...(*Interruptions*) आप पहले सुनिए। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : यह हमें पता है। ...(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीणा: आप लोगों को कुछ पता नहीं है। ...(व्यवधान) Loans upto Rs. 5 lakhs, the assets created out of bank loan to be hypothecated to the bank as primary security. ...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय : आप सब अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

... (व्यवधान)

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Under educational loans scheme, for loans upto Rs. 4 lakhs, no security is required. However, co-obligation of parents has been prescribed under the scheme. No collateral security is required under Differential Rate of Interest scheme. ...(*Interruptions*) I am not yielding. I will answer all your questions.

सभापति महोदय : कृपया करके आप सब अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीणा : वर्ष 2003 में आप लोगों ने क्या किया था? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया करके आप सब अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीणा: आप सब बैठ जाइये। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : जिन माननीय सदस्यों को एतराज करने पर भी उत्तर नहीं मिलता, अगर उनके पास कोई स्पेसीफिक शिकायत है, तो वे उसे माननीय मंत्री जी को दे सकते हैं। आप सब कृपया करके अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सब पहले माननीय मंत्री जी का रिप्लाई सुन लीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीणा : आप पहले रिप्लाई तो सुन लीजिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर माननीय सदस्यों को कोई स्पेसीफिक शिकायत है, कोई स्पेसीफिक जानकारी है, तो उसे आप माननीय मंत्री जी को बता सकते हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीणा : यहां हल्ला मचाने से काम नहीं चलेगा। आपने अपने जमाने में कुछ नहीं किया। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, आपको कुछ बोलना है, तो उसे आप आसन को सम्बोधन करके बोल सकते हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीणा : आप सब बैठ जाइये। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी के अलावा कोई भी वक्तव्य कार्यवाही में नहीं जायेगा। आप सब कृपया करके अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान) *

श्री नमोनारायन मीणा : मेघवाल जी ने एक बात बतायी थी कि डीआरआई में एससी और एसटी को 40 परसेंट स्थान दिया जाना चाहिए।

महोदय,मैं मेघवाल जा को बताना चाहता हूं...(व्यवधान) वर्ष 2008 में

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी के अलावा कोई भी वक्तव्य कार्यवाही में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय : आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए।

श्री नमोनारायन मीणा: महोदय, मेघवाल जी ने कहा है कि डीआरआई स्कीम में एससी-एसटी के लिए 40 प्रतिशत का टारगेट है, उनको 40 प्रतिशत दिया जाना चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 40 प्रतिशत का टारगेट है, वर्ष 2008 में 42 प्रतिशत एचीव किया गया, वर्ष 2009 में 41 प्रतिशत एचीव किया गया और वर्ष

2010 में 48 प्रतिशत डीआरआई लोन्स एससी-एसटी लोगों को दिए गए।...(व्यवधान) एग्रीकल्चर लोन के बारे में बोल रहे हैं, शिकायतों के बारे में बोल रहे हैं।...(व्यवधान) जवाब देने दीजिए। वर्ष 2003-04 में 8105 करोड़ रुपये दिए गए और वर्ष 2009-10 में 25274 करोड़ रुपये दिए गए। इतना ज्यादा हमारे लोगों को दिया गया।...(व्यवधान) पंजाब की माननीय सदस्या ने एसएमईज की बात कही, एसएमई में वर्ष 2003-04 में 2001 करोड़ रुपये दिए गए थे एससी-एसटी को, जबकि वर्ष 2009-10 में 16247 करोड़ रुपये दिए गए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप आसन को संबोधित करते हुए बात कहिए।

श्री नमोनारायन मीणा: महोदय, आपने शिकायतों के बारे में बोला है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, बैठे-बैठे टोका-टाकी न करें।

â€¦(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीणा: महोदय, शिकायतों के बारे में आप लोगों ने कहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई, 2010 में एक मास्टर सर्कुलर निकाला और उसमें यह कहा गया कि एससी-एसटी को हमारे एनुअल प्लान में प्राथमिकता दी जाए। ...(व्यवधान) आपकी स्टेट लेवल की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसको चीफ मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं।...(व्यवधान) एससी-एसटी कमीशन के लोग उसमें जाते हैं।...(व्यवधान) एससी-एसटी फाइनेंस कारपोरेशन के लोग जाते हैं।...(व्यवधान) जिला लेवल कमेटियों में सभी माननीय सदस्य मेंबर होते हैं। ...(व्यवधान) सारे माननीय सदस्य, आप सभी लोग जिला लेवल कमेटियों में सदस्य हैं।...(व्यवधान) इन मुद्दों को वहां जाकर उठाइए, आप लोग स्वयं जिला लेवल कमेटी में सदस्य हैं।...(व्यवधान) सरकार आपसे सहयोग चाहती है। मैं आपसे सहयोग चाहता हूं।...(व्यवधान) अगर कहीं भी आपको इस तरह की कोई गड़बड़ी नजर आती है, तो आप उसको चेक कीजिए, अगर चेक नहीं होता है, तो हमें बताइए। ...(व्यवधान) हम उसको देखेंगे। हर बैंक में एससी-एसटी लोगों के लोन को देखने के लिए एक सेल बना रखा है।...(व्यवधान)आपके एससी-एसटी कमीशन के लोग वहां जाते हैं।...(व्यवधान)

असली मुद्दा मैं मानता हूं यह है कि एससी-एसटी के लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। हमारी सरकार ने फाइनेंशियल इनक्लूजन को प्राथमिकता पर लिया है।...(व्यवधान) हमारी सरकार चाह रही है, रिजर्व बैंक चाह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा बैंक खोले जाएं। एससी और एसटी लोग, गरीब और मजदूर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए उनको बैंकों से जोड़ा जाए।...(व्यवधान) आज देश में 60 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनकी कनेक्टिविटी बैंकों से नहीं है। हमारी सरकार चाहती है कि इस देश में एक भी परिवार ऐसा न रहे जो बैंकों से जुड़ा न हो।...(व्यवधान) इसके लिए स्वाभिमान अभियान भारत सरकार ने चलाया है, जिसका उद्घाटन माननीय सोनिया जी ने 10 फरवरी को किया था।...(व्यवधान) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोले जा रहे हैं।...(व्यवधान)

मैं यह भ बताना चाहता ◌ा◌ कि 73,000 गांवों में बिजनेस कोरेसपोंडेंस लगाए जा रहे हैं, आगे इनका और विस्तार किया जाएगा। एससी और एसटी के लोगों को आर्थिक सशक्तिकरण देने के लिए बैंकों से जोड़ा जाएगा, ताकि बैंक उनकी जो मुश्किलें हैं, जो जरूरतें हैं, वे उनमें योगदान दे सकें और लोन दे सकें। हमारी सरकार चाहती है कि एससी, एसटी के लोगों को और ज्यादा सुविधाएं और लोन मिले, इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं।

◌ाभापति महोदय : शून्य काल में केवल सदानंद गौडा जी की ही बात रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान) *